जनसत्ता

गठबंधन का गुब्बारा

आम चुनाव के मद्देनजर महगठबंधन बनाने का प्रयास काफी दिनों से चल रहा है। विपक्षी दलों की कोशिश है कि किसी भी तरह भाजपा को सत्ता से बाहर रखा जाए। इसमें सबसे अधिक नजर उत्तर प्रदेश पर थी। माना जा रहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा का विजय रथ रोकने में कामयाबी मिल गई तो केंद्र में उसे सत्ता से दूर रखने में आसानी होगी। इसके लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को साथ लाने का प्रयास चल रहा था, क्योंकि इन दोनों दलों का जातीय आधार पर वोट अधिक है। मगर इन दोनों दलों ने किसी और को साथ लिए बिना गठबंधन कर लिया और सीटों की घोषणा भी कर दी। उसके बाद कांग्रेस ने भी घोषणा कर दी है कि वह अब अकेले उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस तरह महागठबंधन की चुनावी कवायद को विराम लग गया है। हालांकि अब भी कुछ लोगों का मानना है कि इस गठबंधन से भाजपा को चुनौती मिलेगी, पर केवल उत्तर प्रदेश की यह चुनौती पूरी देश के स्तर पर कितना असर डाल पाएगी, देखने की बात है।

हालांकि सपा और बसपा ने इस गठबंधन के पीछे भाजपा को दूर रखने का ही मकसद जाहिर किया है। उन्होंने कांग्रेस से दूरी जरूर बनाए रखी है, पर अमेठी और रायबरेली की सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ कर जाहिर कर दिया है कि वे सैद्धांतिक रूप से उससे दूर नहीं हैं। यानी सरकार बनाने का मौका आएगा, तो वे दोनों कांग्रेस का साथ देंगी। जाहिर है, सीटों के बंटवारे में दोनों पार्टियों ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ध्यान रखा होगा, क्योंकि गठबंधन में जितने अधिक दल शामिल होते, उतनी ही उनकी सीटें कम होती जातीं। मगर इस गठबंधन का उन्हें कोई खास लाभ मिलेगा, कहना मुश्किल है। यह सही है कि दोनों दलों का उत्तर प्रदेश में जातीय आधार बहुत मजबूत है, पर सिर्फ इसी आधार पर उनका चुनाव जीतने का दावा बहुत दमदार नहीं माना जा सकता। दोनों दल उत्तर प्रदेश में सत्ता में रह चुके हैं और उनके कामकाज से वहां के लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं। समाजवादी पार्टी के भीतर कुछ समय पहले ही टूट-फूट हो चुकी है और बसपा के जातीय समीकरण में नए कई छोटे दल सेंध लगा चुके हैं। फिर दोनों दलों पर अनियमितता, अपराधियों को संरक्षण देने और विकास कार्यों की अनदेखी जैसे आरोप हैं।

फिर यह भी देखना है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश पर ध्यान केंद्रित करने से इन दोनों दलों का केंद्र में पहुंचने का सपना कितना पूरा हो पाएगा। सपा का उत्तर प्रदेश के बाहर कोई बड़ा जनाधार नहीं है। बसपा की उपस्थिति जरूर दूसरे कई प्रदेशों में अच्छी-खासी है, पर पिछले विधानसभा चुनावों में उसकी स्वीकार्यता पर प्रश्नचिह्न ही लगे हैं। पहले पंजाब में उसे निराशा हाथ लगी, जबकि वहां उसका जनाधार मजबूत है। फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी वह अपनी ताकत नहीं दिखा पाई। आम चुनाव केवल किसी राज्य के स्तर पर समीकरण बना कर नहीं जीते जाते, इसके लिए पूरे देश में अपनी मजबूत पकड़ दिखानी होती है। मगर सपा और बसपा के गठबंधन से ऐसा लग रहा है जैसे वह लोकसभा के लिए नहीं, विधानसभा चुनाव के लिए बना हो। हकीकत यह भी है कि अब चुनाव का मुद्दा सिर्फ जातियों की रहनुमाई तक सीमित नहीं रह गया है, इसलिए इस गठबंधन का रास्ता बहुत आसान नहीं कहा जा सकता।

पाक का पैंतरा

पाकिस्तान ने भारत के साथ वार्ता को लेकर फिर से जो हथकंडा अपनाया है, वह कोई नया नहीं है। इसीलिए भारत ने दो-टूक कह दिया है कि पाकिस्तान वार्ता को लेकर न तो अभी गंभीर है, न ही पहले कभी गंभीर रहा है, बल्कि उसका एकमात्र मकसद भारत में आतंक फैला कर अस्थिरता पैदा करना रहा है, ऐसे में पाकिस्तान के साथ क्या बात की जाए! वार्ता को लेकर भारत को अपना यह कड़ा रुख पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के उस बयान के बाद दिखाना पड़ा जिसमें उन्होंने भारत के साथ बातचीत की पेशकश की थी। हालांकि सब जानते हैं कि यह कोई नई बात नहीं है। जब भी मौका आता है तब पाकिस्तान अपने बचाव में यह कहता नजर आता है कि वह तो भारत से बात करना चाहता है, लेकिन भारत की ओर से उसे कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलता। लेकिन इस बार भारत ने वार्ता की पेशकश को लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से जो सवाल पूछे हैं, वे उनकी कलई खोलने के लिए काफी हैं।

पाकिस्तान से वार्ता को लेकर भारत का हमेशा से स्पष्ट रुख रहा है। भारत एक नहीं, कई बार आधिकारिक रूप से कह चुका है कि पाकिस्तान के साथ वार्ता की पहली शर्त है कि वह सीमापार आतंकवाद बंद करे। जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन से संचालित होने वाली आतंकी गतिविधियों को नहीं रोकता तब तक बातचीत का कोई सवाल ही नहीं उठता। यही रुख भारत ने इस बार भी दोहराया और पूछा है कि अगर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बातचीत के लिए गंभीर हैं तो फिर वे आतंकी संगठनों पर लगाम क्यों नहीं लगा रहे हैं। जबकि इमरान इस तथ्य और हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि उनके देश में सेना और आइएसआइ की छत्रछाया में पल रहे आतंकी संगठन किस तरह से भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल सितंबर में इमरान खान सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री आतंकी सरगना हाफिज सईद के साथ मंच साझा करते नजर आए थे और दोनों ने भारत के खिलाफ आग उगली थी। फिर भी सरकार ने मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं की। इससे पता चलता है कि भारत को लेकर पाकिस्तान सरकार का रुख कैसा है।

हकीकत यह है कि जब-जब भारत ने शांति की पहल की है, तब-तब पाकिस्तान ने असली चेहरा दिखाया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तो दोस्ती और अमन का पैगाम लेकर लाहौर गए थे, लेकिन उसके बाद भारत को करगिल का युद्ध देखना पड़ा। उसके बाद मुंबई और पठानकोट जैसे हमलों की साजिश भी पाकिस्तान की जमीन पर ही रची गई और दोषियों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि इन हमलों के साजिशकर्ता खुलेआम राजनीति में शिरकत कर रहे हैं। अमेरिका भी पाकिस्तान से आतंकी संगठनों पर लगाम कसने को कह चुका है। लेकिन पाकिस्तान पर इसका कोई असर नहीं है। कुछ समय पहले चीन में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मुहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को शरण देने के लिए पाकिस्तान पर सवाल उठे थे। इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने स्वीकारा था कि कुछ आतंकी संगठन पाक के ठिकानों से गतिविधियां चलाते हैं। सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी है, जन कल्याण के लिए उसके पास कोई योजनाएं नहीं हैं, ऐसे में अवाम का ध्यान भटकाने के लिए ही उसने भारत से वार्ता का पैंतरा चला, जिसका भारत ने करारा जवाब दे दिया है।

कल्पमेधा

दार्शनिक विवाद में अधिकतम लाभ उसे होता है जो हारता है क्योंकि वह अधिकतम सीखता है।
-एपिक्यूरस

विकास दर और रणनीतिक कदम

जयंतीलाल भंडारी

देश की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) में सुधार जरूरी है। विभिन्न आर्थिक अध्ययन रिपोर्टों से यह बात सामने आई है कि जीएसटी भारत के लिए लाभप्रद है, लेकिन उपयुक्त क्रियान्वयन के अभाव में इसका लाभ अर्थव्यवस्था को पर्याप्त रूप में नहीं मिल पाया है।

सात जनवरी को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में देश की विकास दर 7.2 फीसद रहेगी। भारत की आर्थिक संभावनाओं पर प्रकाशित कई राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में कहा गया है कि यदि भारत उपयुक्त विकास रणनीति के साथ आगे बढ़ेगा, तो 2018 की तुलना में 2019 में जीडीपी का आकार बढ़ेगा और विकास दर भी साढ़े सात फीसद से अधिक होगी। इससे भारत दुनिया में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत घट कर पचास डॉलर प्रति बैरल हो जाने से भी भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी लाभ होगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। आइएमएफ का कहना है कि हाल के वर्षों में भारत ने अच्छे आर्थिक सुधार किए हैं। कुछ आर्थिक सुधारों का भारत को विशेष रूप से फायदा हुआ है। जीएसटी के कारण दीर्घावधि में लाभ पहुंचेगा।

निसंदेह वर्ष 2018 में सरकार ने उद्योग, कारोबार एवं निर्यात क्षेत्र को जो कई राहत प्रदान की हैं, उनके सरल क्रियान्वयन से 2019 में अर्थव्यवस्था को लाभ होगा और जीडीपी बढ़ेगी। चूंकि देश के सूक्ष्म, लघु और मझौले (एमएसएमई) क्षेत्र की अधिकांश इकाइयों ने नोटबंदी और जीएसटी के दो झटके झेले थे, इसलिए इस क्षेत्र के कारोबारियों को राहत देने के लिए सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मझौली इकाइयों को प्रोत्साहन पैकेज दिए हैं। इससे एमएसएमई क्षेत्र के पुनर्जीवन का नया परिदृश्य उभरेगा। देश के विकास में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ) के महत्त्व को देखते हुए इसे बढ़ावा देने और इसे ज्यादा उदार बनाने के उद्देश्य से एकल ब्रांड खुदरा कारोबार में सौ फीसद एफडीआइ की अनुमति प्रदान की है। पिछले साल प्रत्यक्ष कर संग्रह अठारह फीसद बढ़ कर 10.02 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुआ है, इसमें 2019 में और बढ़ोतरी होगी। अनुमान है कि 2019 के दौरान आयकर रिटर्न की संख्या बढ़ कर सात करोड़ से अधिक होगी। हालांकि इस साल वैश्विक शेयर बाजार में अस्थिरता बनी रहेगी, लेकिन दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके भारत में कारपोरेट आमदनी, सार्वजनिक निवेश और विदेशी निवेश भी बढ़ने की संभावना है। इन सबके साथ-साथ आर्थिक सुधारों के कारण भारतीय शेयर बाजार में उम्मीद का माहौल रहेगा। म्यूचुअल फंड तेजी से बढ़ेंगे। अनुमान है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक इस साल 40,000 अंक के आसपास पहुंच जाएगा।

वर्ष 2019 में किसानों और कृषि हितों की योजनाओं को कार्यान्वित करने से विकास की डगर आगे बढ़ेगी। केंद्र सरकार लघु एवं सीमांत किसानों की आय में बढ़ोतरी करने की नई योजना भी ला सकती है। वर्ष 2019 में नीति आयोग के द्वारा कृषि अर्थव्यवस्था की हालत सुधारने के लिए जो 'न्यू इंडिया' रणनीति जारी की गई है, उसके कार्यान्वयन की दिशा में ठोस कदम आगे बढ़ाने से भी कृषि और किसान लाभान्वित होंगे। निश्चित रूप से आवश्यक वस्तु अधिनियम को नरम करने, अनुबंध खेती को बढ़ावा देने, बेहतर मूल्य के लिए वायदा कारोबार को प्रोत्साहन देने, कृषि उपज की नीलामी के लिए न्यूनतम आरक्षित मूल्य लागू करने, शीत गृहों के निर्माण में वित्तीय सहायता देने जैसे कामों को आगे बढ़ाए जाने से कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

वर्ष 2019 में खाद्य प्रसंस्करण की नई संभावनाओं को साकार करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। शिकागो के एक संस्थान ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण की प्रबल संभावनाओं पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इसमें कहा गया है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से भारत के किसानों की आय में भारी सुधार होगा और साथ-साथ बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2024 तक भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में तैंतीस अरब डॉलर के नए निवेश और नब्बे लाख नए रोजगार अवसर सृजित होने की संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार को इस साल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में और बढ़ोतरी की संभावनाओं को साकार करने के लिए प्रोत्साहन सुनिश्चित करने होंगे।

देश की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) में सुधार जरूरी हैं। विभिन्न आर्थिक अध्ययन रिपोर्टों से यह बात सामने आई है कि जीएसटी भारत के लिए लाभप्रद है, लेकिन उपयुक्त क्रियान्वयन के अभाव में इसका लाभ अर्थव्यवस्था को पर्याप्त रूप में नहीं मिल पाया है। गौरतलब है कि एक जुलाई, 2017 को देश का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किया गया था। एक जुलाई के पहले तक देश में सत्रह तरह के अप्रत्यक्ष कर लागू थे। पारंपरिक रूप से उत्पाद और सीमा शुल्क राजस्व का प्रमुख भाग रहे हैं। इसके अलावा सेवा कर, बिक्री कर, व्यावसायिक कर, सेनवैट और स्टेट वैट, चुंगी और प्रवेश कर भी महत्त्वपूर्ण रहे हैं। जीएसटी के तहत माल एवं सेवाओं के लिए चार श्रेणियां बनाई गई हैं। ये हैं- पांच, बारह, अठारह और अट्ठाईस फीसद के स्लैब। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जीएसटी लागू होने के बाद विक्रेताओं को कर-अंतर का लाभ उपभोक्ताओं को देने से शुद्ध राजस्व में मिलने वाले लाभ के महत्त्व का एहसास हुआ है। जीएसटी लागू होने के बाद वस्तुओं की ढुलाई सुगम हुई और कर भी एक समान हुए। राज्य स्तरीय करों के खत्म होने पर कर संबंधी तमाम बाधाएं, सीमा प्रतिबंध, ढुलाई में देरी और ऐसी ही दूसरी रुकावटें अब कम हो गई हैं। कंप्यूटरीकृत कर अनुपालन व्यवस्था लागू होने से इसमें मानवीय हस्तक्षेप भी बहुत कुछ खत्म हो गया, जिसके कारण दलाली और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा है।

लेकिन अभी भी जीएसटी से संबंधित कई उलझनें और कठिनाइयां दिखाई दे रही हैं। ऐसे में 2019 में उद्योग-कारोबार के लिए जीएसटी का सरल रूप जरूरी होगा। कर पुनर्भुतान के लिए मैन्युअल रिकॉर्ड और प्रक्रिया की बड़ी खामियों को दूर करना होगा। वास्तविक व्यवहार में आ रही जीएसटी दरों से संबंधित कई उलझनों का समाधान करना होगा। वर्ष 2019 में जीएसटी पोर्टल को अधिक कार्यक्षम बनाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी जरूरत जो काफी समय से महसूस की जा रही है वह है अट्ठाईस फीसद की श्रेणी को खत्म करने की। इसके अलावा बारह और अठारह फीसद की दर का विलय करके एकल मानक दर लागू की जानी होगी। इस बात का खयाल रखना होगा कि जीएसटी अधिकारी ईमानदारी से कर चुकाने वाले करदाताओं को परेशान न करें, लेकिन जो जीएसटी भुगतान में आनाकारी करते हैं या रिटर्न दाखिल नहीं करते, उन्हें कर दायरे में लाया जाए। चूंकि जीएसटी लागू हुए ड़ेढ़ साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उद्यमियों और कारोबारियों को रिटर्न जमा करने और जीएसटी फॉर्म को समझाने में कठिनाइयां आ रही हैं, अतएव जिला स्तर पर जीएसटी अधिकारियों और विशेषज्ञों की कमेटियां बना कर जीएसटी प्रशिक्षण संबंधी कैम्प लगाए जाने चाहिए। इन सबके साथ-साथ जीएसटी की एकल विवरणी दाखिल करने की सुविधा भी देना होगी। नए वर्ष 2019 में विकास के रणनीतिक प्रयासों के तहत बेनामी संपत्ति पर जोरदार चोट करना होगी। कालेधन का बकाया इलाज पूरा करना होगा। अर्थव्यवस्था को डिजिटल करने की रफ्तार तेज करना होगी।

निश्चित रूप से वर्ष 2019 में अब देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाई देने के लिए विनिर्माण क्षेत्र की अहम भूमिका है। इसमें तेजी लाने के लिए 'मेक इन इंडिया' योजना को गतिशील बनाने की जरूरत है। उन ढांचागत सुधारों पर भी जोर देना होगा, जिसमें निर्यातोन्मुखी विनिर्माण क्षेत्र को गति मिल सके। ऐसा सब किए जाने से भारत में कृषि विकास, औद्योगिक विकास और कर सुधार का नया लाभप्रद परिदृश्य दिखाई देगा। इससे अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी और विकास दर साढ़े सात फीसद तक आसानी से पहुंच सकती है।

कमाई बनाम पढ़ाई

सुरेश शॉ

दुनिया मेरे आगे

आजकल ज्यादातर जगहों पर सरकारी और गैरसरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए बीएड डिग्रीधारी होना अनिवार्य हो गया है। जिनकी बहाली फिलहाल हो रही है, वे अपने साथ यह प्रमाण-पत्र लिए आ रहे हैं। पर जो लोग पहले से किसी स्कूल में शिक्षक हैं और जिनके पास यह डिग्री नहीं है, उनकी हालत खस्ता है। इसलिए वे अब यह डिग्री हासिल करने की फिराक में लग गए हैं। शायद इसीलिए लोग यह कहने लगे हैं कि जो बच्चा आज डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, वकील, एमबीए या सीए नहीं बन सकता, वह शिक्षक जरूर बन सकता है। पर सवाल है कि आज कुछ युवकों का शिक्षक बन जाना क्या सच में कोई मजबूरी और लाचारी है?

यों बच्चों को पढ़ाने का प्रशिक्षण और उसकी डिग्री लेने के लिए सही पाठ्यक्रम और सही पाठ्य-पुस्तक, दोनों का होना जरूरी है। मगर आज दिख यह रहा है कि पाठ्यक्रम चाहे जो हो, इसकी डिग्री हासिल करने वाले महानुभाव पुस्तकें वैसी ही खरीदते हैं जो शॉर्टकट की राहें दिखा कर उन्हें द्रुत डिग्रीधारी बना देती हैं। आज बाजार में 'कुंजी', 'गाइड', 'सजेशन' और 'नोट' से संबंधित किताबें सरेआम बिक रही हैं। यानी हमारी जरूरत की चीजों के बाजार में डिग्रियों का एक दूसरा बाजार भी खड़ा कर दिया गया है।

यही हाल विद्यालयों में पढ़ने वाले आज के विद्यार्थियों का भी है। कुछ अपवाद को छोड़ कर यहां ज्यादातर विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी मजबूरी में ही अपने 'टेक्स्ट-बुक' को हाथ लगाते हैं। जबकि बड़े जतन से वे उन पुस्तकों को रखते और पढ़ते हैं, जिन्हें हम 'कुंजी-गाइड-नोट-सजेशन' बुक्स आदि के नाम से जानते हैं। यों उनके लिए तो बस एनसीईआरटी या उनके स्कूलों में लगे किसी भी दूसरे अच्छे प्रकाशकों की पाठ्य-पुस्तक की मूल किताबें ज्ञान पाने और इम्तिहान में सफल होने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन उन्हें तो वैसी पुस्तकें चाहिए जो अधिक दिमाग खपाए बिना अगली कक्षा में 'पार' उतारने में सहायक सिद्ध होती हों। भला हो उन स्कूल-प्रबंधनों का जो अपने स्कूलों में परीक्षा के दौरान छात्रों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने देते। वरना शिक्षा की यह भी एक हद हो जाती। (फिर विद्यालयों के उन प्रशिक्षित शिक्षकों की बात, जिन्होंने न जाने किन-किन तरकीबों को अपनाकर आज बी एड डिग्री होल्डर हैं और 'ट्रेंड टीचर' कहलाते हैं।)

एक निजी स्कूल में पढ़ाने वाले हमारे एक मित्र ने एक दिन अपने एक सहकर्मी की एक रोचक कथा सुनाई, जिन्होंने हाल ही में किसी सरकारी संस्थान से बीएड की डिग्री हासिल की है। मित्र बताते हैं कि बड़े गर्व से उस नौजवान ने एक दिन ताल ठोंक कर स्टाफ रूम में उपस्थित लोगों को अपने पेशे में 'ट्रेंड' हो जाने की यह बात बताई थी- 'जब मैं परीक्षा देने हॉल में पहुंचा, तो 'इनविजिलेटर' महोदय को साफ-साफ बता दिया कि मेरे घर पर दीपावली की तैयारी चल रही थी और कल रात भर रंगाई-पुताई हो रही थी। मैं इन्हीं कामों में व्यस्त था, सो पढ़ नहीं पाया। इसलिए अब आप ही कुछ मदद कर दें। यह सुन कर उन्होंने मुझ पर कृपा की और कहा कि जो भी माल-पत्तर आपकी जेब में हैं, उनका आप सदुपयोग कर सकते हैं।'

जब उन्होंने अपनी राह साफ देखी तब अपनी जेब से सारे कागजी माल-पत्तर निकाल कर उनका सही उपयोग करने लगे। लेकिन उनके उन कागजों से जब एक भी उत्तर मेल नहीं खाया तो वह बड़े चिंतित हुए। तभी उनका दिमाग फिर से चला और उन्होंने हाथ के इशारे से उस हितैषी को पास बुलाया और प्रश्न से उत्तर के न मिलने की मजबूरी बताई। मदद का आश्वासन मिलने पर उन्होंने बस बरामदे में रखे अपने बैग में रखे मोबाइल लाकर उसका इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी और उन्हें यह अनुमति मिल गई। अब क्या था! उन्होंने 'गूगल-मास्टर' से जवाब खोज-खोज कर धड़ल्ले से उत्तर-पुस्तिका को भर दिया। उनकी इस 'रंगाई-पुताई' का फल भी अच्छा आया और 'वे' द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हो गए।

यों 'वे' लाचारी में बने एक शिक्षक हैं। असल में वे एक गायक हैं। लेकिन गायन के साथ-साथ इस पेशे को भी वह अपनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस क्षेत्र में सहूलियत है और पैसा भी। शिक्षक बनने की उनकी एक दूसरी लाचारी यह भी है कि वह रातों-रात धन-कुबेर बनने के सपने खूब देखते हैं। वे यह भी जानते हैं कि स्कूलों में छुट्टियां खूब मिलती हैं। यहां समय ही समय है और ट्यूशन भी। उन्हें लगता कि ऐसे में वे गा-बजा कर और नादान बच्चों को अलग से ट्यूशन पढ़ा कर खूब पैसा कमा सकते हैं। इसलिए कुछ साल पहले वे किसी की मदद से वे एक स्कूल में इतिहास के मास्टर बन गए। वे इतिहास विषय को पढ़ाना बेहद आसान मानते हैं।

निचोड़ यह कि जो लोग शिक्षा को केवल अपनी कमाई का साधन और 'मनी-मिंटिंग' का जरिया भर मानते हैं, उनसे समाज और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। यह एक सच्चाई है कि आज के इन कमाऊ शिक्षकों की मानसिकता वैसी नहीं है, जैसी पहले के शिक्षकों की हुआ करती थी।

सड़क पर सुरक्षा

यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 11 से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। तेज रफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाना, हेलमेट और सीट बेल्ट की अनदेखी जैसे कारण दुर्घटनाओं के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। वहीं, सड़क दुर्घटनाओं के लिए प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है, जितने कि वाहन चालक। ठेकेदारों द्वारा प्रयोग घटिया सामान भी खराब सड़कों का बड़ा कारण है। खराब सड़कों के कारण देश में हर एक मिनट में बाइस सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इसके अलावा सड़कों पर बढ़ते वाहन भी दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार, देश में 78.7 प्रतिशत दुर्घटनाएं चालकों की गलती से होती हैं। जब वाहन चालक यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे, नशे में वाहन चलाएंगे, वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बात करेंगे, तो सड़कें जानलेवा बन ही जाएंगी।

वाहन चलाते समय सुरक्षा उपायों, जैसे- हेलमेट, सीट बेल्ट, पॉवर स्टेयरिंग और सड़क सुरक्षा जागरूकता से संबंधित अभियान पर जोर दिया, लेकिन इसमें मामूली अंतर ही आ पाया। ऐसे में आज यह बड़ी समस्या बनती जा रही है, लोगों में धैर्य की कमी और जल्दी के चलते वह मौत का जोखिम लेने से भी नहीं डर रहे हैं। कई बार तो लोग इतने संवेदनहीन हो जाते हैं कि सड़क पर किसी को मारने के बाद गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर वहां से भागने में ही भलाई समझते हैं। ऐसे में सरकार को सड़क दुर्घटना से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलानी होंगी और राज्य सरकारों को लोगों को यातायात के नियम के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करना होगा।

● *सुनीता मिश्रा, नई दिल्ली*

आरक्षण के पात्र

गरीब सवर्णों के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही दस फीसद आरक्षण के लिए मुहर लग चुकी है। यह आरक्षण उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी सालाना आय आठ लाख से कम है या जिनके पास कृषि भूमि पांच हेक्टेयर से कम है या जिनका घर सौ गज से कम आकार का है। पर सवाल है कि क्या यह आरक्षण कोई बड़ा बदलाव ला पाएगा? शिक्षा और नौकरियों में दस फीसद आरक्षण की व्यवस्था ठीक वैसे ही लगती है, जैसे किसी एक रोटी में से और दस फीसद टुकड़ा अलग से रख दिया हो। आरक्षण की शर्तें लगभग सभी सवर्णों को इसके दायरे में लाती हैं। दस फीसद आरक्षण में कोई बुराई नहीं है, पर यहां विचारणीय है कि अब भी आरक्षण सभी सवर्णों में पहले जैसे ही प्रतियोगिता रखेगा। इसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हैं, फिर बेशक वे मुसलिम हों, हिंदू हों या फिर अन्य किसी धर्म वाले क्योंकि दी गई शर्तें सभी सवर्णों को दस फीसद आरक्षण में शामिल करती हैं। वैसे आठ लाख सालाना आय या फिर सौ गज मकान का मालिक सवर्ण गरीब नहीं हो सकता। असल में गरीब सवर्ण तो वह है जिसकी सालाना आय दो से तीन लाख हो और वह अपना बसर किसी किराए के या छोटे मकान में कर रहा हो। अगर सरकार को जनता की भलाई करनी ही थी तो आरक्षण ऐसे लोगों के लिए ही लाना चाहिए था।

● *प्रिंस शर्मा, दिल्ली विवि*

मानव तस्करी का जाल

आधुनिकता के इस दौर में मानव तस्करी की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश सहित तमाम एशियाई देशों से लड़कियों व बच्चों की तस्करी कर पश्चिमी और दक्षिणी यूरोप के कई हिस्सों में बेचा-खरीदा जा रहा है। जांच एजेंसियों, सुरक्षा कानून व मानव तस्करी रोधी संस्थाओं के लाख कोशिशों के बाद भी मानव तस्करी पर नकेल कसना मुश्किल साबित होता जा रहा है। कमोबेश सभी देश अपनी सीमाओं के भीतर तस्करी रोकने के लिए कड़े कानून बनाए हैं। कई संस्थाएं और सुरक्षा जांच एजेंसियां भी मानव तस्करी पर निगाह रखती हैं। फिर भी मानव तस्करी पर रोक लगाने और आंकड़ों में कमी आने के बजाय उक्त रिपोर्ट तस्करी के भयावह रूप का खुलासा करती है। लिहाजा, पीड़ित देशों की सरकार मानव तस्करी रोधी संस्थाएं और सुरक्षा जांच एजेंसियों की अपनी-अपनी परंपरागत कार्यप्रणाली से इतिश्री करना होगा। नई तकनीक और साधन संपन्न देशों की मदद से मानव तस्करी पर शिकंजा कसने की जरूरत ही समय की मांग है। इससे की मानव तस्करी के कारोबार की जड़े खोदी जा सके। साथ ही भविष्य में कोई भी परिवार अपने बच्चों को खो ना सके और उनकी सुरक्षा की उम्मीदें बनी रहे।

● *पवन कुमार मौर्य, नई दिल्ली*

मुसीबत का मांझा

मकर संक्रांति उत्साह और खुशी का पर्व है। इस अवसर पर पतंग महोत्सव मनाया जाता है। लोग कई दिन पूर्व ही पतंग उड़ाने लग जाते हैं। वे दूसरों की पतंग काटने के लिए तेज धार वाला मांझा काम में लेते हैं। इसके चलते कई दुपहिया वाहन चालक मांझे में उलझ कर घायल हो जाते हैं। दुपहिया वाहन से सड़क पर निकलने वालों के लिए डोर व मांझा जान लेवा बन गया है। अब तक कई लोग मांझे के के शिकार हो चुके हैं। पतंगबाजी के शौकीनों को चाहिए कि तेज मांझे का उपयोग नहीं करें, सादा डोर काम में लें। सड़क पर खड़े होकर पतंग न उड़ाएं। डोर व मांझा फैला हुआ न छोड़ें। पतंग कटने के बाद मांझा-डोर पेड़ से लटकते रहते हैं। इनके जाल में आकर अक्सर पक्षी घायल हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। मोटर साइकिल चलाने वाले लोगों के गले में मांझा फंस जाता है और गला काट देता है। कई बार तो ऐसे हादसों में जान तक चली जाती है।

मांझे से लोगों के साथ-साथ पक्षियों की मौत होना भी चिंताजनक है। लोगों को ज्यादा लंबी पतंग उड़ाने से बचना चाहिए। दुपहिया वाहन चालकों को चाहिए कि अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रह कर वाहन चलाएं। पतंगबाजी के दिनों में वाहन की गति धीमी रखें ताकि अचानक से मांझा आने पर गाड़ी रोक कर बचा जा सके। वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहन कर रखें और उसका शीशा बंद करके रखें। गले में मफलर या स्कार्फ पहन कर रखें ताकि मांझा आ भी जाए तो नुकसान कम हो। मांझे के इस खतरे से बचने के लिए लोगों में जागरूक पैदा करनी होगी।

● *राजेंद्र कुमार कुमावत, जयपुर*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com